दिनांक	आज्ञा पत्र
10/7/2	पत्रावली पेश / अधि. उत्तरपक्ष हाजिर / बहस अधि. उत्तरपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण बंटवारे का है तथा दौराने बंटवारे विवादित भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति में परिवर्तन करने पर प्रार्थी के हित प्रभावित हो सकते हैं तथा अविभाजित भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का हिस्सा होता है। अतः समस्त खातेदारों के दौराने बंटवारा विवादित भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत उत्तरपक्ष को पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। अतः मय प्रार्थना पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाता है तथा उत्तरपक्ष को त्वरित अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित भूमि खसरा नम्बर 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2942 कुल किता 09 कुल रकबा 7.62 हैक्टर वाके ग्राम डूंगरपुरा तथा ख.नं. 1311 रकबा 1.76 वाके ~~ग्राम~~ व ख.नं. 1312, ख.नं. 1313 वाके ग्राम पिपराली तहसील व जिला सीकर की भूमि का रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त स्थगन दौराने बंटवारा, विक्रय कब्जा/निर्माण आदि पर लागू नहीं होगा। पत्रावली कैफियत अनुसार होकर मयाद से कर्मे हो, दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज.)